

कार्यालय, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:- शिविरा/मा0/हिनि/28203/2021-22

दिनांक:- 20/12/2021

समस्त संयुक्त निदेशक,

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक)

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) (माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा)

समस्त डाईट प्राचार्य

समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

विषय:-

हितकारी निधि के नियमित अंशदाता बनने के क्रम में।

संदर्भ:-

इस कार्यालय का समसंख्यक आदेश दिनांक 11.09.2018, 05.07.2021 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि संदर्भित आदेश प्रसारित कर हितकारी निधि का नियमित अंशदाता बनने हेतु निर्देशित किया गया था। हितकारी निधि समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार शिक्षा विभागीय कार्मिक (मा.प्रा.) जो वर्ष 2018-19 से आज तक नियमित अंशदाता है, उन्हें ही हितकारी निधि की विभिन्न योजनाओं का लाभ देय है, यदि वे 2018-19 से नियमित अंशदाता नहीं है तो उन्हें कोई लाभ देय नहीं होता है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है जिन कार्यरत कार्मिकों द्वारा वर्ष 2018-19 से 2021-22 तक के वर्षों में किसी वित्तीय वर्ष का अंशदान जमा नहीं करवाया है तो वे निर्धारित दर से अंशदान राशि कामांग पत्र (डिमाण्ड ड्राफ्ट) बनवाकर पूर्ण विवरण सहित सचिव हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा राज. बीकानेर को भिजवाने का श्रम करें। इसके अभाव में यदि कोई लाभ देय नहीं होता है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं कार्मिक एवं कार्यालयाध्यक्ष की होगी। इन निर्देशों से आप अपने अधिनस्थ कार्यालयों एवं कार्मिकों को भी अवगत करावें।

(दयाशंकर अरड़ावतिया)

उप निदेशक (प्रशासन)

एवं सचिव हितकारी निधि

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:-

क्रमांक:- शिविरा/मा0/हिनि/28203/2021-22

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित:-

1. निदेशक समग्र शिक्षा, स्कूल शिक्षा विभाग शिक्षा संकुल, जयपुर।
2. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
4. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
5. पंजीयक शिक्षा विभागीय परिक्षायें, बीकानेर।
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर, अजमेर।
7. प्रधानाचार्य, सार्दूल स्पोर्ट्स स्कूल, बीकानेर।
8. संयुक्त निदेशक कम्प्यूटर (कार्यालय हाजा) को प्रेषित कर लेख है की विभागीय वेब साईट एवं शाला दर्पण/शाला दर्शन पर अपलोड करने बाबत।
9. रोकड़ शाखा माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय।

(दयाशंकर अरड़ावतिया)

उप निदेशक (प्रशासन)

एवं सचिव हितकारी निधि

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर